# बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0
## सोन भवन, 5वीं मंजिल, वीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001

पत्र संख्याः– 1633 /अधिप्राप्ति पटना, दिनांक– 4.02.15

प्रेषक,

अरविन्द कुमार सिंह, भा0प्र0से0
प्रबन्ध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार।

विषयः– **दिनांक 04.02.2015 को सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में धान अधिप्राप्ति से संबंधित उठाये गये समस्या एवं कठिनाई के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है दिनांक 04.02.2015 को सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में धान अधिप्राप्ति से संबंधित विषय पर समीक्षा में जिला स्तर पर निम्न समस्या/शिकायत प्राप्त हुए हैं:–

1. पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किसानों से क्रय किये गये धान को निर्धारित रोस्टर तिथि पर निगम के क्रय केन्द्र द्वारा प्राप्त करने में उदासीनता प्रदर्शित की जाती है। यह शिकायत राज्य के सभी जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा की गई। दैनिक प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि कैमूर, सारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, अररिया मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, जमुई एवं सीवान के द्वारा दिनांक 03.02.2015 तक पैक्स/व्यापार मंडल से निगम क्रय केन्द्र पर शून्य अथवा नाम मात्र की धान की अधिप्राप्ति की गई है। स्वभाविक है कि यहाँ पैक्स/व्यापार मंडल को भुगतान भी काफी कम है, जबकि इन सभी जिलों में पैक्स/व्यापार मंडल द्वारा किसानों से धान का क्रय हुआ है।

   **अपेक्षित अनुपालनः– संबंधित जिला के जिला प्रबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर 24 घंटे के अन्दर निगम के क्रय केन्द्र पर पैक्स/व्यापार मंडल से धान क्रय कर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें।**

2. पैक्स/व्यापार मंडल के द्वारा जो धान निगम क्रय केन्द्र पर जमा कर दिया गया है, कायदे से उसके विरूद्ध पैक्स/व्यापार मंडल को भुगतान 07 (सात) दिनों के अन्दर हो जाना है, किन्तु भोजपुर, नालन्दा, बक्सर, कैमूर, मोतिहारी, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, मुंगेर एवं लखीसराय आदि जिले में निगम क्रय केन्द्र पर पैक्स/व्यापार मंडल का धान प्राप्त करने के बावजूद इनको शून्य भुगतान किया गया है।

   **अपेक्षित अनुपालनः– संबंधित जिला के जिला प्रबंधक तीन दिनों के अन्दर पैक्स/व्यापार मंडल का देय भुगतान सुनिश्चित करेंगें।**

3. कुछ जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा यह सूचना दी गई है कि कुछ निगम क्रय केन्द्र के साथ जिला प्रबंधक द्वारा मिल की सम्बद्धता नहीं होने के कारण क्रय केन्द्र प्रभारी के द्वारा धान प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

   **अपेक्षित अनुपालनः– सभी जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगें कि उनके सभी क्रय केन्द्र पर मिल की सम्बद्धता हो एवं धान क्रय के समय उनका प्रतिनिधि केन्द्र पर उपस्थित रहे। जहाँ किसी कारण से क्रय केन्द्र के साथ मिल की सम्बद्धता में कठिनाई हो, वहाँ क्रय केन्द्र प्रभारी किसान एवं पैक्स/व्यापार मंडल से निर्धारित रोस्टर तिथि को निर्धारित मानक के अनुरूप धान प्राप्त करेंगें। किसी भी स्थिति में निर्धारित रोस्टर तिथि**

को निगम केन्द्र पर आने वाले किसान एवं पैक्स/व्यापार मंडल के धान को उक्त कारण से लौटाया नहीं जाए। भविष्य में इस प्रकार की किसी भी शिकायत पर तत्काल मुख्यालय स्तर से क्रय केन्द्र प्रभारी एवं जिला प्रबंधक पर कठोर कार्रवाई होगी।

4. नवादा एवं किशनगंज के जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि वहाँ के जिला प्रबंधक द्वारा पैक्स को सी.एम.आर. जमा करने हेतु बोरा आपूर्ति करने के लिए 2 लाख रूपया जमा करने का निदेश दिया गया है।

अपेक्षित अनुपालन:-- संबंधित जिला के जिला प्रबंधक को निदेश है कि सरकार एवं निगम द्वारा दिये गये निदेश को ठीक से पढ़ें एवं समझें। सरकार द्वारा पैक्स/व्यापार मंडल को अधिप्राप्ति धान के विरूद्ध सीधे सी0एम0आर0 जमा करने का लक्ष्य दिया गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी इस हेतु जिला को प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध सी0एम0आर0 जमा करने के लिए अपने पैक्स संचालित मिल अथवा निगम पंजीकृत गैर प्रमादी मिल से मिलिंग का कार्य करा सकते हैं। जिला प्रबंधक, जिला सहकारिता पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उनके लक्ष्य के विरूद्ध सी0एम0आर0 जमा करने हेतु इन्फोर्समेन्ट एवं गन्नी बैग की आपूर्ति करेंगें।

समीक्षा में यह तथ्य प्रभावी रूप में उभरकर आया है कि अधिप्राप्ति कार्य में जिला प्रबंधक एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य नही कर रहे हैं जिसके कारण कई सामान्य एवं छोटे स्तर की समस्या के कारण धान अधिप्राप्ति एवं भुगतान का कार्य बाधित एवं विलंबित हो रहा है। सभी जिला प्रबंधकों को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर धान अधिप्राप्ति के कार्य को सुचारू एवं तीव्रता से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगें।

विश्वासभाजन

4/2/15

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक:- 1633 /अधिप्राप्ति, पटना दिनांक:- 4-02-15

प्रतिलिपि:- संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी को इस संबंध में सूचित करने की कृपा की जाय।

4/2/15

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक:- 1633 /अधिप्राप्ति, पटना, दिनांक:- 4-02-15

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

4/2/15

प्रबन्ध निदेशक

ज्ञापांक:- 1633 /अधिप्राप्ति, पटना, दिनांक:- 4-02-15

प्रतिलिपि:- सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4/2/15

प्रबन्ध निदेशक

## कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 728 / पटना, दिनांकः– 05.02.15

04 / नि॰अधि॰(2014–15)धान–25 / 2014

प्रतिलिपिः– सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी / सभी प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक / सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ / सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/2/15

संयुक्त निबंधक (मु॰)
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

E:\Sanjay singh\Memo-05.02.15.doc